

Prof. Poonam Tandon
Dean of Students' Welfare

दिनांक : 06-03-2022

छात्रावासों (Boys Hostel) में रहने वाले छात्रों के लिए निर्देश

छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्न निर्देश दिया जाता है-

1. किसी भी छात्रावास में बिना प्रोवोस्ट और चीफ प्रोवोस्ट की अनुमति के छात्रों द्वारा किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन ना किया जाए।
2. छात्रों द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्ति को हॉस्टल में बुलाना प्रतिबंधित। केवल अभिभावक प्रोवोस्ट की अनुमति से निर्धारित समय तथा हॉस्टल में निर्धारित किए गए स्थान पर मिल सकते हैं।
3. रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी छात्र का बिना प्रोवोस्ट के छात्रावास के बाहर आना-जाना प्रतिबंधित
4. समस्त छात्रावासों में रात्रि भोजन का समय सायं 07.00 - 9.00 के मध्य रहेगा।

जो कोई भी छात्र उपरोक्त नियमों की अवहेलना करता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(पूनम टंडन)

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ